प्रेषक,

प्राचार्य
रा0 स्नात0 महावि0
बेरीनाग (पिथौरागढ़)

सेवा में,

निदेशक उ0 शि0
उत्तराखण्ड़
हल्द्वानी नैनीताल

पत्रांकः २२५ /2015–16 दिनांक– 08 –10–2015

विषय– 'प्रोजेक्ट उत्कर्ष' के सम्बन्ध में।

महोदय,

निदेशालय के पत्रांक डिग्री प्लान /9198–1268/2015–16 दिनांक 16 सितम्बर 2015 के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि रा0 स्नात0 महाविद्यालय बेरीनाग में 'प्रोजेक्ट उत्कर्ष' के संचालन हेतु गठित समिति द्वारा प्राप्त आवेदनों सं तुलनात्मक प्रकिया एवं चर्चा के आधार पर अपहिल कम्प्यूटर प्रा0 लि0 बेरीनाग, पिथौरागढ़ का चयन किया गया है।

चयनित संस्था द्वारा प्रथम वर्ष में छात्रों की आर्थिक स्थिति व भौगोलिक परिस्थियों को देखते हुए न्यूनतम रु0 300 /– प्रतिमाह ट्यूशन फीस पर सहमति जताई है, साथ ही एन0आई0ओ0एस0 के माध्यम से 6 माह एवं 01 वर्ष के कोर्स हेतु प्रवेश शुल्क क्रमशः रु0 600/– व रु0 1200/– प्रति बताया है। ऐसे में 'प्रोजेक्ट उत्कर्ष' संचालन समिति ने निर्णय लिया है कि चयनित संस्था और महाविद्यालय के विद्यार्थियों के बीच एक खुली बैठक करायी जाय ताकि शुल्क सम्बन्धी चर्चा हो सके। जिससें इच्छुक छात्र/छात्राओं का भी पता चल सकेगा।

प्रोजेक्ट के विषय इस प्रकार हैं–

1. फंक्सनल इंग्लिश
2. कम्प्यूटर प्रशिक्षण

भवदीय

(डा0 डी0के0 पाण्डे)
प्राचार्य
रा0 स्नात0 महावि0
बेरीनाग (पिथौरागढ़)

01C

E-Mail – higereducation.director@gmail.com
05946–225785, 281674

उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड

हल्द्वानी (नैनीताल) पिन – 263139

पत्रांक : डिग्री सेवा/1605-1694 /2015–16 **दिनांक :** 21-04-20

सेवा में,

समस्त प्राचार्य,
राजकीय स्ना0/स्नातको0 महाविद्यालय,
उत्तराखण्ड।

विषयः उत्तराखण्ड राज्य के छात्र/छात्राओं को उच्च शिक्षा के साथ रोजगार परक शिक्षा प्रदान करने हेतु "प्रोजेक्ट उत्कर्ष" की स्थापना हेतु संचालन समिति के गठन विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्रांक /XXIV(7)/11(4)/2015 दिनांक 31 मार्च, 2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें उत्तराखण्ड राज्य के छात्र/छात्राओं को उच्च शिक्षा के साथ रोजगार परक शिक्षा प्रदान हेतु "प्रोजेक्ट उत्कर्ष" की स्थापना तथा उसकी योजना की नियमावली बनाये जाने हेतु सहर्ष स्वीकृति प्रदान की गयी हैं।

उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का आदेश हुआ है कि महाविद्यालय के छात्र/छात्राओं को उच्च शिक्षा के साथ रोजगार परक शिक्षा प्रदान किये जाने हेतु "प्रोजेक्ट उत्कर्ष" के संचालनार्थ महाविद्यालय स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति का गठन महाविद्यालय प्राचार्य की अध्यक्षता में किया जाना हैं। शासन के पत्र के क्र0सं0–6 के बिन्दु सं0– (ग) एंव (घ) पर अंकित के सदस्य जनपद के जिलाधिकारी द्वारा नामित किये जाने हैं।

अतः जनपद के जिलाधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर "प्रोजेक्ट उत्कर्ष" की संचालन समिति गठित कर उसकी सूचना निदेशालय को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

कृपया प्रकरण को शीर्ष वरीयता प्रदान करें।

संलग्नक–उक्तवत्।

भवदीय,

(डॉ0 बी0सी0 मलकानी)
निदेशक, उच्च शिक्षा,
उत्तराखण्ड,हल्द्वानी (नैनीताल)।

D:Jeevan/Extra

उत्तराखण्ड शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग–7
संख्याः-352/XXIV(7)/11(4)/2015
देहरादून : दिनांक 31 मार्च, 2015

कार्यालय–ज्ञाप

उत्तराखण्ड राज्य के छात्र/छात्राओं को उच्च शिक्षा के साथ रोजगार परक शिक्षा प्रदान करने हेतु "प्रोजेक्ट उत्कर्ष" की स्थापना तथा निम्नानुसार योजना की नियमावली बनाये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1	योजना शीर्षक	इस योज़ना का नाम 'प्रोजेक्ट उत्कर्ष' होगा।
2	योजना का उद्देश्य तथा प्रयोजन	इस योजना का उद्देश्य एवं प्रयोजन छात्र/छात्राओं को उच्च शिक्षा के साथ–साथ रोजगार परक शिक्षा प्रदान करना है। राज्य में उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात, राष्ट्रीय सकल नामांकन अनुपात से अधिक हैं। अतः उच्च शिक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों की रोजगारीय क्षमता (employability) को बढ़ाने हेतु रोजगारपरक एवं गुणवत्तायुक्त उच्च शिक्षा प्रदान किये जाने की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये महाविद्यालयों में उपलब्ध संरचनात्मक सुविधाओं इत्यादि का उपयोग रोजगारपरक पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु किया जाना प्रस्तावित है। तदनुसार योजना की प्रस्तावना इस प्रकार से होगी:– 1. प्रथम चरण में महाविद्यालयों में वही पाठ्यक्रम संचालित किये जाने प्रस्तावित हैं, जिनके लिए प्रयोगशाला इत्यादि की आवश्यकता न्यूनतम हो। 2. प्रथम चरण में रोजगारीय क्षमता (employability) वाले पाठयक्रम यथा अंग्रेजी भाषा संप्रेषण क्षमता, व्यक्तित्व विकास, कार्यालय प्रबन्धन/सचिवीय पद्धति, डाटा –एन्ट्री,/कम्प्यूटर टाईपिंग, उद्यमिता क्षमता विकास, नेतृत्व/टीम क्षमता विकास, रिटेल मार्केटिंग, अन्तर–व्यक्तित्व कौशल एवं अन्य स्थानीय आवश्यकतानुसार रोजगारोन्मुख पाठ्यक्रम आदि। 3. ऐसे पाठयक्रम एक माह/तीन माह/छः माह/01 वर्ष के प्रमाण–पत्र/डिप्लोमा पाठ्यक्रम आधिरित होंगे, जो किसी मान्यता प्राप्त/पंजीकृत/प्रतिष्ठित संस्था से निर्गत किया जायेगा। 4. प्रथम चरण में संचालित पाठयक्रम, स्ववित्त पोषित (पी0पी0पी0 मोड) आधार पर महाविद्यालयों में संचालित किये जायेंगे। पी0पी0पी0 मोड के अंतर्गत प्राईवेट पार्टनर/साझेदार पाठयक्रम से सम्बन्धित प्रक्रिया यथा समय–सीमा, विषय वस्तु आदि का निर्धारण कर गुणवत्ता परक पाठ्यक्रम पूर्ण कराना सम्बन्धित संस्था का दायित्व होगा। ऐसे पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु सम्बन्धित महाविद्यालयों द्वारा उपलब्ध संसाधनों में से ही अवस्थापना सुविधायें यथा स्थान, समय, कम्प्यूटर इत्यादि उपलब्ध कराई जायेंगी, जिनकी समुचित सुरक्षा, अनुरक्षण एवं सदुपयोग की जिम्मेदारी सम्बन्धित संस्था की होगी तथा असुरक्षित उपयोग की स्थिति में महाविद्यालय में प्राचार्य की अध्यक्षता में गठित संचालन समिति द्वारा इसे संज्ञान में लेते हुये दण्डात्मक कार्यवाही भी की जा सकती है।

		5. द्वितीय चरण में ऐसे पाठ्यक्रम भी संचालित किये जायेंगे जिनके लिए प्रयोगशाला उपकरण इत्यादि की भी आवश्यकता हो। इसकी संचालन प्रक्रिया पृथक से निर्धारित की जायेगी।
3	पाठ्यक्रम	इस योजना के अन्तर्गत महाविद्यालयों में वही पाठ्यक्रम संचालित किये जायेंगे जो किसी प्रतिष्ठित/पंजीकृत संस्थान द्वारा मान्यता प्राप्त हों तथा जिनके प्रमाण–पत्रों के आधार पर छात्रों को सेवायोजन में वरीयता इत्यादि प्राप्त हो सके। पाठ्यक्रमों का चयन महाविद्यालयों में प्राचार्य की अध्यक्षता में गठित संचालन समिति द्वारा ही किया जाएगा, जो स्थानीय आवश्यकतानुसार रोजगारपरक हों।
4	संस्थाओं का चयन	महाविद्यालय में गठित संचालन समिति, पाठ्यक्रम का निर्धारण करने के उपरान्त इच्छुक साझेदार संस्था (Partner Institution) से राष्ट्रीय समाचार पत्रों के माध्यम से ई0ओ0आई0 (Expression of Interest) आमंत्रण विज्ञापन जारी किया जाएगा, जिसमें पंजीकृत/प्रतिष्ठित संस्थाओं से आवेदन प्राप्त किये जायेंगे। संस्थाओं के चयन के समय संस्था के पाठ्यक्रम संचालन के पूर्व न्यूनतम 03 वर्ष का अनुभव एवं उसके द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों से रोजगारीय क्षमता (Employability) के रिकार्ड को दृष्टिगत रखते हुए निर्णय लिया जाएगा। साझेदार संस्था से समझौता पत्र [Memorandom of Understanding (MOU)] महाविद्यालय स्तर पर हस्ताक्षरित होगा।
5	पाठ्यक्रम संचालन की समय–सारिणी	योजना का उद्देश्य महाविद्यालयों की नियमित समय–सारिणी के पश्चात महाविद्यालय की रिक्त अवस्थापना सुविधाओं (Idle Infrastructure) का छात्र–छात्राओं के हित में अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने हेतु रोजगारपरक पाठ्यक्रमों का संचालन किया जाना है ताकि अध्ययनरत छात्र–छात्रायें नियमित पाठ्यक्रम के साथ–साथ रोजगारपरक पाठ्यक्रमों में भी अध्ययन कर सकें एवं रोजगारीय क्षमता में वृद्धि कर सके। इसके अतिरिक्त महाविद्यालय के ग्रीष्मावकाश अथवा शीतावकाश अवधि के दौरान भी अवस्थापना सुविधाओं का सदुपयोग करने हेतु पाठ्यक्रम की रचना की जायेगी।
6	पाठ्यक्रम क्रियान्वयन हेतु संगठनात्मक ढांचा	महाविद्यालय में रोजगारपरक पाठ्यक्रम का निर्धारण, शुल्क ढांचा, पाठ्यक्रम की अवधि, बैच संख्या/आकार निर्धारण एवं सुचारू संचालन हेतु अन्य आवश्यक कार्यों/निर्णयों हेतु महाविद्यालय स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति निम्नवत् होगी:– (क) महाविद्यालय प्राचार्य — अध्यक्ष (ख) वरिष्ठतम प्राध्यापक (अंग्रेजी) — सदस्य (ग) जनपद के जिलाधिकारी द्वारा नामित प्रशासनिक अधिकारी (जो उपजिलाधिकारी स्तर से अनिम्न न हो) — सदस्य (घ) जनपद के जिलाधिकारी द्वारा नामित वित्त अथवा लेखा अधिकारी — सदस्य (च) महाविद्यालय में अध्ययनरत दो छात्र प्रतिनिधि (स्नातक द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत सर्वोच्च अंक प्राप्त) — सदस्य (छ) महाविद्यालय के एक वरिष्ठतम प्राध्यापक — सदस्य सचिव

		नोटः–उपरोक्तानुसार गठित समिति, महाविद्यालय में पाठ्यक्रम हेतु साझेदार निजी संस्था के चयन को छोड़कर अन्य कार्यों के समय यथाआवश्यक साझेदार संस्था के निदेशक/नामित प्रतिनिधि को समय–समय पर विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में बैठक में सम्मिलित कर सकेगी।
7	पाठ्यक्रम शुल्क ढांचा विषयक	सामान्यतया महाविद्यालय स्तर पर गठित समिति द्वारा उचित शुल्क (Reasonable Fee) निर्धारण किया जाएगा। महाविद्यालय स्तर पर गठित समिति जो शुल्क महाविद्यालय में अध्ययनरत ए0पी0एल0 श्रेणी के विद्यार्थियों हेतु नियत करेगी, उसका आधा (50 प्रतिशत) बी0पी0एल0 परिवार के छात्र/छात्राओं से लिया जाएगा।
8	सकल प्रतिनिधित्व	महाविद्यालय में संचालित विभिन्न रोजगारपरक पाठ्यक्रमों में छात्राओं को 50 प्रतिशत प्रतिनिधित्व प्रदान किये जाने का प्रयास किया जाएगा तथा अन्य वंचित समूहों (अल्पसंख्यक/अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/जनजाति) के प्रतिनिधित्व का भी ध्यान रखा जाएगा।
9	महाविद्यालय तथा साझेदार निजी संस्था के मध्य सुविधाओं का आदान–प्रदान	आधारभूत अवस्थापना सुविधाएं प्रस्तर–2(4) के अनुसार उपलब्ध कराई जायेगी।
10	वित्तीय दायित्व	यह योजना महाविद्यालयों द्वारा पी0पी0पी0 मोड के अन्तर्गत स्ववित्त पोषित (Self Sustained) योजना के रूप में चलाई जायेगी। राज्य सरकार का इस हेतु कोई वित्तीय दायित्व नहीं होगा।
11	विविध	(i) यद्यपि 'प्रोजेक्ट उत्कर्ष' का क्रियान्वयन सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में होगा तथापि किसी विवाद की स्थिति में उसका न्याय क्षेत्र संबंधित महाविद्यालय का जनपद मुख्यालय होगा। महाविद्यालय की ओर से विधिक कार्यवाही/पैरवी सदस्य सचिव के द्वारा समिति के अध्यक्ष के निर्देशानुसार की जाएगी। (ii) महाविद्यालय स्तरीय संचालन समिति, संचालित पाठ्यक्रमों की वार्षिक आधार पर समीक्षा करेगी एवं छात्र हित में पाठ्यक्रमों में परिवर्तन/परिवर्धन कर सकेगी। (iii) प्रश्नगत योजना के संबंध में निर्धारित दिशा–निर्देशों से इतर कोई बिन्दु उत्पन्न होने की दशा में महाविद्यालय स्तरीय संचालन समिति इस संबंध में निदेशक से निर्देश प्राप्त करते हुए वांछित कार्यवाही करेगी। समस्त जिलाधिकारी अपने जनपदों के राजकीय महाविद्यालयों में संचालित कार्यक्रमों का समुचित अनुश्रवण करते रहेंगे तथा निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा मासिक रूप से योजना की प्रगति की समीक्षा की जायेगी तथा वस्तुस्थिति से शासन को अवगत कराया जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

(राधिका झा)
प्रभारी सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 3520 (1)/XXIV(7)/11(4)/2015, तददिनांकित।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
3. निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. मण्डलायुक्त, कुमाऊँ/गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
7. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी, नैनीताल।
10. निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
12. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
13. समस्त महाविद्यालय प्राचार्य (द्वारा–निदेशक, उच्च शिक्षा)।
14. उच्च शिक्षा के समस्त अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
15. गोपन (मंत्रिपरिषद) अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन को उनके पत्र दिनांक 30 मार्च, 2015 के क्रम में
16. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(लक्ष्मण सिंह)
संयुक्त सचिव।